



2026:AHC:163691

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26254 वर्ष 2026

दुष्यंत

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुरेंद्र सिंह राजपूत, वीरेंद्र सिंह राजपूत

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एस. राजपूत और श्री एस.एस. राजपूत तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर की दलीलें सुनीं।
- यह जमानत आवेदन मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है। यह मुकदमा अपराध संख्या 423 सन् 2025, धारा 80(2), 85, 352 बी.एन.एस. और धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन देबाई, जिला बुलंदशहर में दर्ज है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत आवेदन को इस न्यायालय ने दिनांक 07.04.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जो पेपर-बुक के पृष्ठ-17 पर संलग्न है। यह खारिज याचिका इस तथ्य पर विचार करते हुए खारिज की गई थी कि आवेदक मृतक का पति है और उसकी पत्नी की शादी के सात साल के भीतर ही उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। दहेज की मांग को लेकर यातना देने का भी आरोप है। लेकिन आवेदक इस दूसरी जमानत आवेदन पर इस आधार पर जोर दे रहा है कि आवेदक की पहली जमानत आवेदन खारिज होने के बाद, अभियोजन साक्षी-1 विजय सिंह, अभियोजन साक्षी-2 पंकज कुमार और अभियोजन साक्षी-3 पवित्रा देवी, मृतक के परिवार के सदस्यों से निचली अदालत में पूछताछ की गई थी और उनके बयानों से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक, हालांकि मृतक का पति है, निर्दोष है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आत्महत्या का मामला दर्शाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 17.06.2025 से यानी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अतः, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दूसरी जमानत याचिका मंजूर की जा सकती है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत आवेदन है और उसकी पहली जमानत आवेदन इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दी गई थी कि वह मृतक का पति है, लेकिन इस तथ्य का खंडन नहीं कर सका कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु फांसी के कारण हुई थी और गले में फंदे के निशान के अलावा उसे कोई अन्य चोट नहीं आई थी और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 17.06.2025 से यानी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

7. हालांकि, यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत आवेदन है और आवेदक की पहली जमानत आवेदन इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दी गई थी कि वह मृतक का पति है और उसकी पत्नी की शादी के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और दहेज की मांग को लेकर यातना देने का भी आरोप है। लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह पिछले एक साल से अधिक समय से जेल में है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।

8. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदक - **दुष्यंत** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के विचारण के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5 अगस्त, 2026

एके पांडे

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।